

प्रेस नोट

दिनांक 26.10.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा चोरी की तीन घटनाओं का अनावरण, एक अभियुक्त गिरफ्तार एवं एक विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर पुलिस संरक्षण में, चोरी के आभूषण, नकदी, देशी शराब व घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 12/13.10.2026 की रात्रि में कहोबा-डुमरियाडीह रोड के किनारे स्थित कम्पोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी की घटना तथा दिनांक 22/23.10.2026 की रात्रि में ग्राम कुंदरुखी स्थित देशी शराब की दुकान एवं दो घरों में चोरी की घटनाएं घटित हुई थीं। उक्त घटनाओं के संबंध में थाना मोतीगंज पर क्रमशः मु0अ0सं0 224/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 239/2026 धारा 305(क), 331(4) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 240/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए गए थे।

कार्यवाही—

थाना मोतीगंज क्षेत्र में चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं चोरी गए माल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की घटनाओं में संलिप्त व्यक्ति मोटरसाइकिल से कुंदरुखी की तरफ से आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चैनवापुर के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने घेरकर पकड़ लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों में गैंग का सरगना आशीष कुमार मिश्रा पुत्र भानु प्रताप मिश्रा व उसका बालअपचारी साथी शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 02 जोड़ी पायल (सफेद

धातु), 02 जोड़ी बिछिया, देशी शराब के 23 टेट्रा पैक तथा ₹30,600/- नकद बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त होने वाले आला नकब के रूप में 01 अदद सब्बल एवं 01 अदद पेचकस भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ के दौरान अभियुक्त आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि उसने अपने साथियों अभिषेक तिवारी एवं कल्लू सोनकर तथा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ मिलकर दिनांक 12/13.10.2026 की रात्रि में कहोबा-डुमरियाडीह रोड स्थित कम्पोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान की खिड़की तोड़कर बीयर, अंग्रेजी शराब एवं काउंटर में रखे रुपये चोरी किए थे। इसके अतिरिक्त दिनांक 22/23.10.2026 की रात्रि में ग्राम कुन्दरुखी में श्रवण कुमार मौर्य एवं राम केतार के घरों तथा देशी शराब की दुकान में चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया। अभियुक्त ने बताया कि चोरी किए गए सामान को बेचकर प्राप्त रुपये आपस में बांट लिए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता—

1. आशीष कुमार मिश्रा पुत्र भानु प्रताप मिश्रा, निवासी ग्राम मानपुर करोहामान, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरण—

1. दो जोड़ी पायल (सफेद धातु)।

2. दो जोड़ी बिछिया (सफेद धातु)।
3. चोरी के सामान की बिक्री से प्राप्त कुल ₹30,600/- नकद।
4. देशी शराब के 23 टेढ़ा पैक (पाउच)।
5. चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त एक अदद लोहे का सबल एवं एक अदद पेचकस
6. एक अदद मोटरसाइकिल बजाज CT-100, रजिस्ट्रेशन नंबर UP 43 AV 7582, जिसे आवश्यक वाहन अभिलेख प्रस्तुत न करने पर धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया।

अनावरित अभियोग—

1. मु0अ0सं0 224/2026, धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 239/2026, धारा 305(क), 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 240/2026, धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. श्री तेज नरायन गुप्ता, थानाध्यक्ष, थाना मोतीगंज।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र तिवारी।

3. उ०नि० श्री रोहित रनवीरा
4. हे०का० रूपेश सिंह।
5. हे०का० लक्ष्मीकान्त कन्नौजिया।
6. का० अभिषेक यादव द्वितीया।
7. का० राजकुमारा।
8. का० मो० तस्लीमा।
9. का० आदित्य कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक: 26-10-2026

मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा गांवों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें नारी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं स्वावलंबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को बताया गया कि वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ने के साथ-साथ साइबर अपराध के विभिन्न तरीके भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते से संबंधित विवरण, ओटीपी, एटीएम/डेबिट कार्ड की जानकारी अथवा अन्य गोपनीय सूचनाएं साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध कॉल एवं मैसेज के माध्यम से भेजे गए प्रलोभनों में आने तथा सोशल मीडिया पर अपरिचित व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक संवाद करने के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, अपनी निजी तस्वीरें एवं जानकारी साझा करते समय सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल संबंधित माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान मिशन शक्ति टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करने, अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न अथवा अन्य किसी अप्रिय घटना की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्हें यह भी बताया गया कि पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर

है तथा उनकी शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में बिना किसी भय या संकोच के सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान मिशन शक्ति टीमों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सहायता से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जिनमें वीमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्पलाइन-181, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन-1930 प्रमुख हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं को इन हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने, साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करने तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या अपराध की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 26-10-2026

गोण्डा पुलिस द्वारा चलाये गए दो दिवसीय विशेष अभियान के तहत 27 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित व गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कुल 27 गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना-वार गिरफ्तारी का विवरण निम्नानुसार है-

थाना को0 नगर पुलिस ने 04, थाना को0 देहात पुलिस ने 05, थाना इटियाथोक पुलिस ने 01, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना धानेपुर पुलिस ने 03, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01, थाना छपिया पुलिस ने 02, थाना नवाबगंज पुलिस ने 02, थाना वजीरगंज पुलिस ने 02, थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 01, थाना कटराबाजार पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 26.10.2026

बिटुमिन/तारकोल की हेराफेरी, चोरी एवं गबन कर फर्म को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी आलोक पाण्डेय पुत्र राकेश कुमार पाण्डेय, निवासी ग्राम देवरदा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी फर्म आलोक कन्स्ट्रक्शन के देवरदा स्थित रोड कन्स्ट्रक्शन प्लांट पर आने वाले बिटुमिन/तारकोल की तौल में हेराफेरी कर माल की चोरी एवं गबन किया गया। वादी के अनुसार, प्लांट पर नियुक्त कांटा एजेन्टों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से माल की हेराफेरी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में कूटरचना तथा माल को अवैध रूप से बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित किया गया, जिससे फर्म को कई करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

आज दिनांक को थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त कृपाशंकर पाण्डेय तरबगंज कस्बे से निकलकर थाना मोड़ के पास आने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर अभियुक्त को थाना मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. कृपाशंकर पाण्डेय पुत्र माताप्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम अड़नापुर, ग्रामसभा देवरदा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0-302/2026, धारा 316(5)/318(4)/61(2)/344/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

1. उ0नि0 जितेन्द्र पाण्डेय
2. का0 अंकित राय

मीडिया सेल. गोण्डा।